म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

legalvidhimpsamb@gmail.com

क्र./ बोर्ड/ विधि/ 06/ परिपत्र/ 2025/ 425 भोपाल, दिनांक 08-05-2025

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय- भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर/रीवा/उज्जैन/सागर

विषय: माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के सम्बन्ध में।

--000--

माननीय न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु सम्बंधित संभागीय अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नामित किया जाता है। प्रभारी अधिकारियों के दायित्व एवं कर्त्तव्य भी स्पष्ट रूप से आदेशों में अंकित रहते हैं, किन्तु कतिपय रूप से न्यायिक प्रकरणों के प्रति गंभीरता का अभाव परिलक्षित होना पाया गया है। अतः समस्त प्रभारी अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि-

A. न्यायिक प्रकरणों में मान. मुख्य सचिव महोदय का नाम विलोपित कराने के सम्बन्ध में-

1. कार्यालयीन पत्र क्र/बोर्ड/विविध/8/जन/डब्ल्यू.पी./2024/2414 दिनांक 16/08/24 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से न्यायालयीन प्रकरणों में मुख्य सचिव महोदय, म.प्र. शासन का नाम पक्षकार के रूप में सम्मिलित होने पर तत्काल अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर मुख्य सचिव महोदय का नाम विलोपित कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
2. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ बोर्ड/ विधि/ एफ 247/ सा./ CONC 1462/ 2025/ 404 दिनांक 01/ 05/ 25 से पुनः निर्देश दिए गए हैं।

   पुनः पत्रों एवं मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 153 दिनांक 12/05/16 की प्रति संलग्न कर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके संभागान्तर्गत माननीय न्यायालय में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए तत्काल अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर मुख्य सचिव महोदय का नाम विलोपित कराने की कार्यवाही करें।

B. न्यायिक प्रकरणों में उपस्थिति के सम्बन्ध में-

1. संबंधित प्रभारी अधिकारी स्वयं एवं विधिवत अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से मान. न्यायालय में प्रकरण की निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर विभाग का पक्ष रखेंगे।
2. प्रभारी अधिकारी, संभाग में प्रचलित न्यायिक प्रकरणों की सतत समीक्षा करेंगे तथा अधिवक्ता से संपर्क एवं माननीय न्यायालय की वेबसाइट से प्रकरणों की संभावित आगामी तिथि की अद्यतन जानकारी संधारित करेंगे।
3. प्रभारी अधिकारी का दायित्व होगा की वह सुनिश्चित करें कि माननीय न्यायालय के समक्ष अनुपस्थिति अथवा ex-parte आदेश पारित होने की स्थिति निर्मित न हो।
4. माननीय न्यायालय में लंबित अवमानना प्रकरणों में नामित संपर्क अधिकारी/नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रकरण के संबंध में वांछित अभिलेख संबंधित शाखाओं से प्राप्त कर अधिवक्ता से समयावधि में पालन प्रतिवेदन तैयार कराया जाये। ऐसे प्रकरण जिनमें मुख्यालय स्तर से कार्यवाही लंबित है, उनको अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही पूर्ण करवाई जाये।
5. ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा समय सीमा में अभ्यावेदन निराकरण के निर्देश दिए गए हैं, उन प्रकरणों में मुख्यालय को त्वरित रूप से अधिवक्ता के अभिमत के साथ आदेश की प्रति प्रेषित की जाये।

C. लंबित न्यायिक प्रकरणों के सम्बन्ध में-

1. न्यायालयीन प्रकरणों की सूची के अवलोकन पर पाया गया कि कतिपय प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी आदेश जारी होने के पश्चात 15 दिवस से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी जवाबदावा प्रस्तुत होना शेष है। संभागवार संख्या अग्रलिखित अनुसार है:-

स.क्रं.	संभाग	जवाबदावा हेतु शेष प्रकरण
1	जबलपुर	1
2	ग्वालियर	21
3	इन्दौर	14
4	उज्जैन	13
5	भोपाल	5
6	सागर	1
7	रीवा	6
योग		61

उपरोक्त प्रकरणों में माननीय न्यायलय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर पालन प्रतिवेदन 7 दिवस में मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए, प्रभारी अधिकारी/संपर्क अधिकारी के पदीय दायित्वों का पालन सुनिश्चित किया जाये। किसी भी स्तर पर लापरवाही से माननीय न्यायालय के निर्देशों की अवज्ञा की स्थिति निर्मित होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(कुमार पुरूषोतम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./ बोर्ड/ विधि/ 06/ परिपत्र/ 2025/ 426 भोपाल, दिनांक 08-05-2025

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक/ अधीक्षण यंत्री/ संयुक्त संचालक/ उपसंचालक/ कार्यपालन यंत्री / सहायक संचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.....(समस्त) जिला.....(समस्त)।
4. आदेश नस्ती।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Ds meeting letter

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1212/1577 / ~~2005~~ / 2012 / 14-1   भोपाल, दिनांक 15 / 06 / 16

प्रति,

1—संचालक,
किसान कल्याण / तथा कृषि अभियांत्रिकी
कृषि प्रशिक्षण संस्थान
म0प्र0 भोपाल।

2—प्रबंध संचालक,
कृषि विपणन बोर्ड / बीज एवं फार्म वि0नि0
बीज प्रमाणीकरण संस्थान / राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान।

3-- कृषि विश्व विद्यालय
जवाहर लाल नेहरू कृ0वि0 जबलपुर
राजमाता सिंधिया कृ0वि0 ग्वालियर।
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय:-- न्यायालयीन प्रकरणों में मुख्य सचिव के नाम विलोपित करने के संबंध में।

---0---

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 153 / मुस / 2016 दिनांक 12.5.2016 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि, प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिए निर्देशानुसार कार्यवाही पालन करें।

संलग्न :उपरोक्तानुसार

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. Agri/1160 दि. 15/6/16
शाखा JD (Legal)
प्रबंध संचालक

(हस्ताक्षर)
उप स...
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 153/मु.स./2016,

भोपाल, दिनांक 12/5/20

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
.... विभाग.

विषय :- न्यायालयीन प्रकरणों में मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने संबंध में।

--000--

1. विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में याचिकाकर्ता/वादी द्वारा मुख्य सचिव को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जा रहा है। इस संबंध मे संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत बनाए गए मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम (Rules of Business of the executive Government of Madhya Pradesh) में निम्नानुसार सुस्पष्ट प्रावधान है कि -

(i) मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम, भाग पांच - "कार्य नियम के नियम 13 के अधीन अनुपूरक अनुदेश" के खण्ड-2(क) के अनुसार विभागीय सचिव द्वारा किया गया निपटारा शासन द्वारा किया गया निपटारा समझा जायेगा। कार्य नियम भाग-1 के नियम-12 के अन्तर्गत संबंधित विभाग का सचिव प्रत्येक मामले में नियमों के सावधानीपूर्वक पालन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

2. प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 86, 191/21-मत/2015, दिनांक 25 जून, 2015 द्वारा उपर्युक्त विषयान्तर्गत महाधिवक्ता, जबलपुर, मध्यप्रदेश को विस्तृत मार्गदर्शन प्रेषित किया गया है सुलभ सन्दर्भ तथा उपयोग हेतु परिशिष्ट-1 पर छायाप्रति संलग्न है।

निरन्तर......

3. अवमानना मामले में राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव को मामलों में पक्षकार बनाए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना प्रकरण क्रमांक 649/2015 में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 को प्रकरण क्रमांक आर.पी.49/2016 में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 (परिशिष्ट-2) द्वारा वापस लिया गया है साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि-

> "That the contempt case shall be filed and proceed in accordance with the requirement of High Court of Madhya Pradesh Rules 2008 or the statutory requirement of the Contempt of Court Act and the rules framed therein."

4. उक्त विधिक स्थिति के अनुसार प्रस्तुत वाद/रिट याचिकाओं तथा अवमानना याचिकाओं में मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने की कार्यवाही की जावे।

5/ प्रकरण में मुख्य सचिव को पक्षकार के रूप में संयोजित करते हुए प्रस्तुत आवेदन-पत्रों से प्राप्त नोटिस में प्रशासकीय विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही अविलम्ब की जावे :-

(i) प्रकरण में तत्काल ही प्रभारी अधिकारी/सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की कार्यवाही की जावे।

(ii) मुख्य सचिव की ओर से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले वकालतनामा आदि पर हस्ताक्षर करवाने संबंधी कार्यवाही की जावे।

(iii) मुख्य सचिव का नाम विलोपन संबंधी कार्यवाही की जावे।

(iv) प्रकरण में जवाबदावा दाखिल करने की कार्यवाही की जावे।

(v) प्रकरण में कृत कार्यवाही की तथ्यात्मक स्थिति एक सप्ताह के भीतर अवलोकन हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत होने की अचूक व्यवस्था तथा इसकी सतत् समीक्षा भारसाधक सचिव द्वारा की जावे।

(एंटोनी डिसा)
मुख्य सचिव